नगर परिषद, जैसलमेर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/JAISALMER/FIRENOC/2024-25/40723

जारी दिनांकः 14-NOV-2024

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः SAMUEL V A

आवेदक का पताः 344, EMMANUEL MISSION SCHOOL, INDIRA COLONY, JAISALMER 345001

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन IMMANUEL MISSION SR SECONDARY SCHOOL, 102, INDIRA COLONY, INDIRA COLONY, JAISALMER, JAISALMER, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तो पर पावंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
3. फायर वाहन आसानी से आ जा सक इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
4. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वः निरस्त मानी जावेगी।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
7. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. उक्त स्थल पर तीन स्फ्टि में फायर कर्मचारी रखना अनिवार्य होंगे जिनको फायर संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त हो।
9. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
10. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
11. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
12. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
13. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
14. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।

Signed by: Lajpal Singh
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: JAISALMER, Rajasthan
Date: 14/11/2024 17:08:16

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, जैसलमेर